In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 140/2021
Bhargama PS Case No.-57/2016
CIS No.-140/2021
(State Vs. Mahesh Mandal @ Mahesh Kumar & 04 others.)

FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। उपस्थितः—शशि भूषण कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। निर्णय की तिथि — 10.07.2026 विशेष एससी/एसटी वाद संख्या—140/2021 भरगामा थाना काण्ड संख्या—57/2016 सी0आई0एस0 संख्या—140/2021 अन्तर्गत धारा 341, 323, 354, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. अंकित किया गया।

सूचिका	राज्य (द्वारा रीना देवी) पति—भवेश रजक, पता—सा0—धनेश्वरी थाना—भरगामा, जिला—अररिया।
प्रतिनिधित्व राज्य के तरफ से	श्री कलानंद राम, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1.महेश मंडल उर्फ महेश कुमार, पिता—दीपनारायण मंडल 2.उमेश मंडल उर्फ उमेश कुमार, पिता—दीपनारायण मंडल 3.कैली देवी, पति—दीपनारायण मंडल 4.मनिका कुमारी उर्फ मोनिका कुमारी, पिता—कपिलेश्वर मंडल 5.मूर्ति देवी, पति—कपिलेश्वर मंडल
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से अधिवक्ता	श्री निपेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

अपराध की तिथि	15.05.2016
प्राथमिकी की तिथि	15.05.2016
आरोप पत्र की तिथि	30.06.2016
आरोप गठन की तिथि	24.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	23.08.2023

In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 140/2021
Bhargama PS Case No.-57/2016
CIS No.-140/2021
(State Vs. Mahesh Mandal @ Mahesh Kumar & 04 others.)

निर्णय हेतु तिथि निर्धारण	10.07.2026
निर्णय की तिथि	10.07.2026
सजा की तिथि, यदि कोई हो	—

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्सर्मपण की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप गठित धारा	रिहाई / सजा	सजा दी गयी	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.P.C .
01.	महेश मंडल उर्फ महेश कुमार, पिता– दीपनारायण मंडल	08.04.2023	17.04.2023	341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (x) SC/ST Act.	दोषमुक्त	—	—
02.	उमेश मंडल उर्फ उमेश कुमार, पिता– दीपनारायण मंडल	12.06.2023	12.06.2023	341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (x) SC/ST Act.	दोषमुक्त	—	—
03.	कैली देवी, पति– दीपनारायण मंडल	12.06.2023	12.06.2023	341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (x) SC/ST Act.	दोषमुक्त	—	—
04.	मनिका कुमारी उर्फ मोनिका कुमारी, पिता– कपिलेश्वर मंडल	12.06.2023	12.06.2023	341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (x) SC/ST Act.	दोषमुक्त	—	—
05.	मूर्ति देवी, पति– कपिलेश्वर मंडल	12.06.2023	12.06.2023	341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (x) SC/ST Act.	दोषमुक्त	—	—

उक्त वाद में कुल छह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों का गठन किया गया था, लेकिन उक्त वाद में एक अभियुक्त खुशीलाल मंडल का दिनांक 09.06.2026 को मृत्यु हो जाने के कारण अब इस वाद में शेष बचे पांच अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में विचारण चला है।

FORM-C

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

A. अभियोजन

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
01.	भवेश रजक	सूचिका का पति

B. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

C. न्यायालय साक्षी यदि कोई होः– लागू नहीं।

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

A. अभियोजन

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

01.	शून्य	–

D. वस्तु प्रदर्श साक्ष्य– लागू नहीं।

क0सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

निर्णय

1.उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–24.07.2023 को धारा 341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. के अंतर्गत आरोपों का गठन कर इसकी व्याख्या हिन्दी में पढ़कर सुनाया वो समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण इंकार किये और अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण किये जाने का दावा किये।

2.सूचिका रीना देवी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 15.05.2016 को 3:00 बजे दिन में मूर्ति देवी सूचिका के बाड़ी में लगा परवल को तोड़ रही थी। सूचिका द्वारा मना करने पर मूर्ति देवी सूचिका को गाली–गलौज देने लगी और हल्ला सुनकर प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण आए और सूचिका के साथ मारपीट करने लगे। उमेश मंडल के आदेश देने पर महेश मंडल सूचिका का बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और छाती पर चढ़ कर लात मुक्का से मारने लगा और पहना कपड़ा चीड़फाड़ कर बेनग्न कर दिया। ग्रामीण आए और जान बचाए।

3.सूचिका रीना देवी के लिखित आवेदन के आधार पर भरगामा थाना कांड संख्या– 57/2016 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 354, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. के अन्तर्गत दिनांक–30.06.2016 को आरोप पत्र समर्पित किया, तदुपरांत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 17.08.2016 को धारा 341, 323, 354, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया।

4.पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर वाद में विचारण चला।

5. मैं पाता हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–24.07.2023 को आरोपों का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दिनांक–30.06.2026 को अभियुक्तगण का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोप को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

अवधारण के लिए बिन्दु
(POINT FOR DETERMINATION)

6.अब इस न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित आरोप अधीन धारा 341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है ?

चर्चा, निर्णय और उसके कारण
(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

7.अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोपों के समर्थन में एकमात्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रदर्श नहीं कराया गया है।

8.बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी सफाई साक्षी का साक्ष्य व सबूत न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अब मैं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण कर देखते हैं कि अभियोजनपक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे कहां तक साबित किया है?

9.वाद विवेचन के क्रम में अभियोजन साक्षी सं0–01 भवेश रजक है, जो इस वाद की सूचिका का पति है, के साक्ष्य का विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कहा है कि घटना का पांच–छह साल हुआ है, दो बजे दिन का समय था। असामी उमेश मंडल मेरा जमीन में पानी बहा रहा था। मना करने पर मेरी पत्नी रीना देवी को मारपीट किया था। उमेश मंडल, महेश मंडल, खुशीलाल, मोती देवी, कैली देवी पांच आदमी मिलकर मारपीट किया था। कंडिका 02 में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान हुआ था। कंडिका 03 में कहा है कि अभियुक्त महेश मंडल आज न्यायालय में उपस्थित है, पहचानता हूँ। अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचान लूंगा। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के कंडिका 04 में कहा है कि कथित घटना के दिन हम घर पर नहीं थे, पत्नी जो बतायी वही बात मैं बताया हूँ। कंडिका 05 में कहा है कि इस केस की सूचिका सह मेरी पत्नी रीना देवी मर गयी है। किसी प्रकार का जाति सूचक गाली नहीं दिया था। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। कंडिका 06 में कहा है कि मुकदमा संधि करने हेतु अनुमति न्यायालय से मांगे है। संधि आवेदन भी न्यायालय में दाखिल किये है। इस मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ।

10.बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने परीक्षण में प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों का बिल्कुल समर्थन नहीं किये है। अतः विचारण के अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाय।

11.अभियोजन पक्ष की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहा है।

12.उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं0–01 भवेश रजक है, जो इस वाद की सूचिका का पति है, के साक्ष्य का प्रथमतः विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन किया है कि घटना का पांच–छह साल हुआ है, दो बजे दिन का समय था। आसामी उमेश मंडल मेरा जमीन में पानी बहा रहा था। मना करने पर मेरी पत्नी रीना देवी को मारपीट किया था। उमेश मंडल, महेश मंडल, खुशीलाल, मोती देवी, कैली देवी पांच आदमी मिलकर मारपीट किया था। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। अभियुक्त महेश मंडल आज न्यायालय में उपस्थित है, पहचानता हूँ। अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचान लूंगा। जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि कथित घटना के दिन हम घर पर नहीं थे, पत्नी जो बतायी, वही बात मैं बताया हूँ। इस केस की सूचिका सह मेरी पत्नी रीना देवी मर गयी है। किसी प्रकार का जाति सूचक गाली नहीं दिया था। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। मुकदमा संधि करने हेतु अनुमति न्यायालय से मांगे है। संधि आवेदन भी न्यायालय में दाखिल किये है। इस मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ। अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराये गये साक्षी ने तथाकथित घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किये हैं। साक्षी सूचिका का पति है, ने अपने साक्ष्य में मेल–मिलाप की बात को स्वीकार किया है। इन साक्षी के साक्ष्य से प्राथमिकी का पूर्ण सम्पोषण नहीं होता है तथा इनके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में घोर विरोधाभाष है। प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता व अन्य तात्विक साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। जबकि उनकी उपस्थिति हेतु सभी प्रकार की आदेशिकाएं जारी की गयी है। परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक तथा अन्य तात्विक साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे तथाकथित घटना एवं घटनास्थल साबित नहीं हो पाया है, जो अभियोजन के विरूद्ध है। इस प्रकार से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर पूरी घटना संदेहास्पद हो जाती है। मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराएं युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होती है। फलस्वरूप अभियुक्त रिहाई पाने के अधिकारी हैं।

13.उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण 1.महेश मंडल उर्फ महेश कुमार, पिता–दीपनारायण मंडल, 2.उमेश मंडल उर्फ उमेश कुमार, पिता–दीपनारायण मंडल, 3.कैली देवी, पति–दीपनारायण मंडल, 4.मनिका कुमारी उर्फ मोनिका कुमारी, पिता–कपिलेश्वर मंडल, 5.मूर्ति देवी, पति–कपिलेश्वर मंडल के विरूद्ध गठित आरोपों में वर्णित धारा 341/34, 323/34, 504/34, 354/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act. को गुण–दोषों के आधार पर दोषी न पाते हुए दोष–मुक्त किया जाता है तथा इनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

14.ऊपरिनामित अभियुक्त का जमानत बंधपत्र अधीन धारा 480 बी.एन.एस.एस. के प्रवाधाननुकूल अगले छः मास तक प्रवृत्त रहेगा।

15.निर्णय की एक प्रति विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, अररिया को अधीन धारा 365 दं.प्र.सं. में वर्णित प्रावधान के आलोक में अविलम्ब भेजा जाय।

16.निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–10.07.2026

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–10.07.2026